चीनी, सोयाबीन से हट सकता है कमोडिटी ट्रांजैक्शन चार्ज

[राम सहगल | मुंबई]

कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन (एफएमसी) ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को पत्र लिखकर कुछ एग्री प्रोसेस्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स से कमोडिटी ट्रांजैक्शन चार्ज (सीटीटी) हटाने की सिफारिश की है। हालांकि, सीटीटी के हटने के समय को लेकर मार्केट में अलग-अलग राय है। कुछ का मानना है कि सोमवार को वोट-ऑन-एकाउंट में इसकी घोषणा की जा सकती है।

इस डिवेलपमेंट की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया, 'एफएमसी ने मिनिस्ट्री को पत्र लिखा है, जिसमें चीनी, ग्वार गम, मेंथा ऑयल और सोयाबीन ऑयल को सीटीटी नेगेटिव लिस्ट में रखने की बात कही गई है।' अभी नेगेटिव लिस्ट में लगभग 2 दर्जन कमोडिटी शामिल हैं, जिन पर सीटीटी लागू नहीं होता। व्यक्ति ने बताया कि चारे के तौर पर इस्तेमाल होने वाला सोयाबीन मील सीटीटी के दायरे से बाहर है, लेकिन सोयाबीन ऑयल पर यह टैक्स

- **फॉरवर्ड मार्केट्स** कमीशन ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से चीनी, ग्वारगम, मेंथा ऑयल और सोयाबीन ऑयल को सीटीटी नेगेटिव लिस्ट में रखने की सिफारिश की

लगाया जाता है। इस बारे में एफएमसी के चेयरमैन रमेश अभिषेक ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कोटक महिंद्रा बैंक के ऐस कमोडिटी एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ दिलीप भाटिया सोयाबीन को एग्री प्रॉडक्ट मानने और एडिबल प्रॉडक्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले सोयाबीन ऑयल को सीटीटी के लिहाज से नॉन-फार्म प्रॉडक्ट मानने को गलत करार दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंशियल ईयर 2014 के बजट में घोषणा की थी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल जैसे नॉन-फार्म प्रॉडक्ट्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टस पर प्रति 1 लाख रुपये पर 10 रुपये का सीटीटी लगाया जाएगा। बाद में सीटीटी का दायरा बढ़ाकर इसमें गन्ने, सोयाबीन, ग्वारसीड जैसे एग्रीकल्चर प्रॉडक्ट्स से प्रोसेस्ड कमोडिटीज को भी शामिल कर दिया गया। सीटीटी 1 जुलाई 2013 से लागू हुआ था।

कमोडिटी एक्सचेंजों से जुड़े ऑफिशियल्स का मानना है कि सरकार के सीटीटी लागू करने के कदम के पीछे स्टॉक मार्केट के लिए लॉबीइंग करने वालों का हाथ है। अभी इक्विटी मार्केट्स पर फ्यूचर ट्रेडिंग में प्रति लाख 10 रुपये का ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है। इन ऑफिशियल्स की दलील है कि सीटीटी ठीक नहीं है क्योंकि कमोडिटीज पर सेंट्रल और स्टेट के लेवल पर वैट, सेल्स टैक्स और मंडी टैक्स जैसे बहुत से टैक्स लगाए जाते हैं। हालांकि, सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सीटीटी लगने से एमसीएक्स के टर्नओवर पर बड़ा असर पड़ा है। देश के कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में 85 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले इस एक्सचेंज का सीटीटी लागू होने से पहले जनवरी से 1 जून 2013 तक औसत डेली टर्नओवर 48,399 करोड़ रुपये था, जो टैक्स लगने के बाद 55 फीसदी गिरकर 21,643 करोड़ रुपये पर आ गया।

Economic Times (Hindi)
17/2/14